न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–01/2016

उनवान

राधा देवी पत्नि ईश्वरलाल जाति जाट, निवासी ग्राम हरदरामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी झोटवाडा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 23.08.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम हरदरामपुरा, पटवार हल्का खेजरोली बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 179 में वर्णित खसरा नम्बर 1384/2 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1386/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1391/1 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 1392/1 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 1393 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 1394 रकबा 1.30 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 3.25 है0 स्थित हैं, जिसके हिस्सा 3/13 भाग की खातेदारी वादीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के लगवा सींवजोड खसरा नम्बर 1486/3 ग्राम खेजरोली बी की भूमि स्थित है जिनके मध्य की सीमा इस वादपत्र में विवादग्रस्त है। विवादग्रस्त सम्पत्ति भूमि का पडौसी प्रतिवादी संख्या 1 है। जिसके द्वारा विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1384/2, 1386/1, 1391/1, 1392/1, 1393, 1394 की सीमाओं के साथ छेडछाड कर वादीया की भूमि की सीमाओं को शामिल करते हुये कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ काम में लेने की कार्यवाही की जा रही है तथा वादीया की भूमि खसरा नम्बर 1384/2, 1386/1, 1391/1, 1392/1, 1393, 1394 की सीमाओं पर पूर्वजों के समय से मिट्टी की डोल बनी हुई है तथा उस पर पाल गाडकर तारबन्दी की हुई है। वादीया ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 1384/2, 1386/1, 1391/1, 1392/1, 1393, 1394 को अपने सहखातेदारों से बांट रखी है वादीया अपने मनबट अनुसार भूमि पर काबिज होकर निरन्तर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा सुरक्षा की दृष्टि से मिट्टी की सी[illegible]ोल गाडकर तारबन्दी कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। वादीया विवादित [illegible] राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपने हिस्से की भूमि का काबिज खातेदार स्वामीनी है। जिस कारण वादीया को उपरो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात् का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 1384/2, 1386/1, 1391/1, 1392/1, 1393, 1394 की सीमा के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का वादीया की संयुक्त भूमि से कोई लेना देना या सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीया की भूमि की सीमाओं को तोडफोडकर वादीया को नुकसान कारित करना चाहते है। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 आये दिन बिना वजह वैमनस्य के कारण विवादग्रस्त भूमि को हडप करने व उस पर जबरिया नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से सींव डोल में तोड फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादीया द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहते है जिसका प्रतिवादी को कोई हक अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों व भूमाफियों की मदद से दिनांक 18.12.2015 को विवादग्रस्त सम्पत्ति पर आकर वादीया के कब्जे एवं स्वामित्व की विवादित भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादीया को विवादित सम्पत्ति की कच्ची मिट्टी की डोल को तोडकर वादीया को बेदखल कर क़ब्जा करने का प्रयत्न किया गया तथा विवादित सम्पत्ति पर जबरिया निर्माण सामग्री एकत्रित कर कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे एवं वादीया की तारबन्दी हेतु लगाये गये पिल्लरों को तोड दिया, जिसका विरोध वादीया द्वारा किये जानें पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया को ऐलानियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादीया व अन्य सहखातेदारों को बेदखल कर देंगे तथा वादीया को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसमें यदि वादीया ने कोई आपत्ति की तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा, जिस कारण वादीया द्वारा वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित सम्पत्ति के वादीया द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही विवादित सम्पत्ति पर बनी सींवडोल में तोडफोड करें, ना ही पिल्लरों को तोडे, ना ही उसे खुर्द बुर्द करें, ना ही विवादित सम्पत्ति पर जबरिया कब्जा कर वादीया को बेदखल करें, ना ही कोई पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना हीं वादीया के उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी कारित करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 विवादग्रस्त सम्पत्ति व सीमाओं की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवदी संख्या 1 ना तो स्वयं करें ना ही [illegible] एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शेष खसरा नम्बर 1486/3 ग्राम खेजरोली बी की भूमि किसी भी सीमा पर वादी की भूमि की सीमाजोड नहीं होने से भूमि खसरा नम्बर 1486/3 को विवादग्रस्त कहना कतई भी न्यायोचित नहीं है। ना ही उसने कृषि भूमि को अन्य प्रयोजनार्थ काम में लेने की कार्यवाही की है। भूमि सहखातेदारी की है तो वादी का अन्य सहखातेदारों को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे उसकी बदनीयती स्पष्ट रुप से जाहिर होती है कि वह बिना किसी कानूनी हक एवं अधिकार के मिन प्रतिवादी को उसकी स्वयं की भूमि से बेदखल करने हेतु हैरान परेशान करना चाहती है। प्रतिवादी की भूमि खसरा नम्बर 1486/3 के राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि की चतुर्थ सीमायें वादीया की भूमि को कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, ऐसे में प्रतिवादी का वादीया की भूमि की सीमाओं तथा तारबाउण्ड्री तथा मिट्टी की डोल को नुकसान पंहुचाने की बात सर्वथा मिथ्या है। वादीया स्वयं प्रतिवादी को बिना किसी अधिकार के एवं नाजायज हैरान परेशान करने के आशय से दिनांक 18.12.2015 को व्यवधान कारित करने की बात वर्णित की है जिससे उसने अपनी भूमि खसरा नम्बर 1486/2 जो कि ए0डी0एम0 जयपुर से किस्म परिवर्तन करा रखी है, को उपयोग में नहीं ले सके, तथा उसके उपयोग में नही आ सके इस कारण मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वादीया ने यह दावा स्वयं की रिस्क पर प्रस्तुत किया है जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। वादीया मान्य न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा मान्य न्यायालय को मुगालते में रख कर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। जो कानूनन प्राप्त करने की कतई भी अधिकारी नहीं है।

बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजीयात की भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के वर्तमान में कृषि भूमि ना होकर पेट्रोल पम्प प्रयाजनार्थ रुपान्तरित है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद इसी स्तर पर अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartik Jain
Date: 2025.06.05 14:40:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा0ट्र0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

उनवान

राधा देवी पत्नि ईश्वरलाल जाति जाट, निवासी ग्राम हरदरामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कालूराम, जाति जाट, निवासी झोटवाडा, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषैधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 रा0 टि0 एक्ट

निर्णय दिनांकः– 23.08.2024

मुकदमा नं0:–01/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 23.08.2024 को जारी किया गया ।.

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	1	3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:29:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner